


 सत्यमेव जयते
दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
 EXTRAORDINARY
 प्राधिकार से प्रकाशित
 PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 432] दिल्ली, शनिवार नवम्बर 25, 2017/अग्रहायण 4, 1939 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 354
 No. 432] DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 25, 2017/AGRAHAYANA 4, 1939 [N.C.T.D. No. 354

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
 GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 24 नवम्बर, 2017

सं. 36/2017-राज्य कर (दर)

सं.फा. 03(49)/वित्त(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/752.—दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 3) की धारा 9 की उपधारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल परिषद की सिफारिशों के आधार पर दिल्ली सरकार, वित्त विभाग (राजस्व-1) की अधिसूचना सं. 4/2017-राज्य कर (दर), तारीख 30 जून, 2017, सं. फा. 03(15)/वित्त(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/372, तारीख 30 जून, 2017, जो दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, में प्रकाशित किया गया था में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, -

(i) क्रम संख्या 5 के बाद और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

तालिका

क्रम सं.	टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय	माल का विवरण	वस्तुओं की आपूर्ति	प्राप्त करने वाला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“6.	कोई अध्याय	इस्तेमाल किए गए वाहन, जब्त की गई वस्तु, पुरानी और प्रयुक्त माल, अपशिष्ट और स्क्रेप	केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण	कोई प्राधिकृत व्यक्ति”

यह अधिसूचना दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 से प्रभावी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
ए. के. सिंह, उप-सचिव-VI (वित्त)

नोट:- प्रधान अधिसूचना संख्या 4/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017, को सं.फा. 03(15)/वित्त(राज.-1)/2017-18/डीएस-VI/372 दिनांक 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, में प्रकाशित किया गया था।

FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 24th November, 2017

No. 36/2017-State Tax (Rate)

No.F.3(49)/Fin/(Rev-I)/2017-18/DS-VI/752.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of Delhi in the Department of Finance (Revenue), No. 4/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number No.F.3(15)/Fin/(Rev-I)/2017-18/DS-VI/372, dated the 30th June, 2017, namely:—

In the said notification,-

(i) after S. No.5 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

TABLE

Sl. No.	Tariff item, sub-heading, heading or Chapter	Description of Goods	Supplier of goods	Recipient of supply
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	Any Chapter	Used vehicles, seized and confiscated goods, old and used goods, waste and scrap	Central Government, State Government, Union territory or a local authority	Any registered person

This notification shall come into force with effect from the 13th day of October, 2017.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,
A.K. SINGH, Dy. Secy. VI (Finance)

Note: - The principal notification No.4/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide number No.F3(15)/Fin/(Rev-I)/2017-18/DS-VI/372, dated the 30th June, 2017.